17.12.2024

वकील अपीलान्ट हाजिर। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व उसके अधिवक्ता हाजिर नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई हाजिर नहीं। हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। बहस अपील एक तरफा सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत गोगा जी का निम्बाहेड़ा के इन्तकाल संख्या 1859 दिनांक 30-1-2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत अपील पेश की है। अपीलान्ट अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मृतक बालु पिता नाथू भील का विरासत का नामान्तरण रेस्पोडेन्ट के नाम पत्नी बताकर खोला गया जबकि मृतक बालु की मृत्यु से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट पत्नी ने अन्यत्र विवाह कर लिया। अतः ना०न० 1859 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम विरासत का नामान्तरण खोला जावे। हमने प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट पत्नी का अन्यत्र विवाह सम्बन्धी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया नामान्तरण 1859 में भी किसी प्रकार की त्रुटि होना

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से इसी स्तर पर खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रेकर्ड हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़